फार्म नम्बर III फर्द अहकाम (नियम 25)

ऑन लाईन नं.GCMS2023/239

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 90/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

(विक्रेता व मालिक)

1. श्री ओमप्रकाश अरोड़ा पुत्र श्री त्रिलोकचंद अरोड़ा
मै. चुग किरयाना स्टोर, बस स्टेंड बींझवायला, जिला श्रीगंगानगर
2. श्री रूपचंद पुत्र श्री गोपालदास, मै. सतगुरू ट्रेडिंग कंपनी, बसंती चौक के पास श्रीगंगानगर
3. S.T. Dairy Food Product 224, Sector-28, Ind. Area, Delhi Road, Hissar Haryana

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

दिनांक : 10.01.2025

निर्णय

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.08.2021 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक संस्था/एफएफएसए/2021/258 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता दिनांक 16.02.2022 को समय दोपहर 02.00 बजे को मैसर्स चुग किरयाना स्टोर, बस स्टैण्ड बिझंबायला, जिला श्रीगंगानगर (विक्रेता) पर पहुँचा मोके पर **श्री ओमप्रकाश अरोड़ा पुत्र श्री त्रिलोक चन्द अरोड़ा** को अपना परिचय दे कर संस्थान पर रखे **घी (श्री भोग ब्राण्ड)** बारे मे जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर **घी (श्री भोग ब्राण्ड)** के 500–500 एमएल के गत्ते पैक डिब्बे 18 नग आमजन के बेचान वास्ते होना बताया इसी घी (श्री भोग ब्राण्ड) मे मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जाँच वास्ते घी (श्री भोग ब्राण्ड) का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर दीया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी हस्ताक्षर किये।

यह है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **घी (श्री बोग ब्राण्ड)** 500–500 एमएल 4 मूल पैक डिब्बों को विक्रेता से खरीद कर लिया। विकेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा **घी (श्री भोग ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 760 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और तात्कालिन खाद्य सूरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

करने को कहा **श्री ओमप्रकाश अरोड़ा पुत्र श्री त्रिलोक चन्द अरोड़ा** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री ओमप्रकाश अरोड़ा पुत्र श्री त्रिलोक चन्द अरोड़ा** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (श्री बोग ब्राण्ड) 500–500 एमएल के 04 मूल पैक डिब्बों पर** लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1384** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1384** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री ओमप्रकाश अरोड़ा पुत्र श्री त्रिलोक चंद अरोड़ा** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–L.S./291/Act/2022/291 Dated 03-03-2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1384 Unsafe Food** होना पाया गया। **श्री ओमप्रकाश अरोड़ा पुत्र श्री त्रिलोक** को जांच की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जाचं हेतु **विकेता** ने आवेदन प्रस्तुत किया। रैफरल फूड लैबोरेट्री, पुणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट सं. RFL/P/DO-649/22/102 Dated 27-02-2023 में खाद्य पदार्थ का नमूना **Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री ओमप्रकाश अरोड़ा पुत्र श्री त्रिलोकचंद अरोड़ा (विकेता व मालिक) मै. चुग किरयाना स्टोर, बस स्टेंड बींझवायला, जिला श्रीगंगानगर और श्री रूपचंद पुत्र श्री गोपालदास, मै. सतगुरू ट्रेडिंग कंपनी, बसंती चौक के पास श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **घी (श्री बोग**

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में निम्नलिखित कथन किया कि

1. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 1 के तथ्य जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदक साक्ष्य से प्रमाणिक करें कि उसकें द्वारा अंकित कथन सत्य व सही है। उक्त मद में अंकित कथन नोटिफिकेशन दिनॉक 18.08.2011 को आवेदक साक्ष्य व प्रमाण से साबित करे।

2. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 2 के वाक्यांश आशिक स्वीकार है। उक्त नमूनीकरण का कार्य एफ एस ओ द्वारा विधिनुसार नहीं किया गया है।

3. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 3 के कथन आंशिक स्वीकार है। उक्त मद के अनुसार केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर होना बताया गया है जबकि उक्त कैशमीमों स्वंय एफ एस ओ ने विभाग द्वारा बनाये गये प्रारूप पर बनाया गया था। उक्त तथ्य विरोधाभासी होने व भिन्न भिन्न होने के आधार पर भी उक्त परिवाद सव्यय निरस्तणीय है।

4. यह कि आवेदन पत्र की मद स. 4 के कथन आंशिक रूप से स्वीकार है।

5. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 5 के कथन आंशिक रूप से स्वीकार है। आवेदक एफ एस ओ लक्ष्मी कांत गुप्ता द्वारा गवाहान के समक्ष नमूना सं. के 1384 मिन जवाबदाता के परिसर से घी श्री भोग ब्राण्ड का नगूना लिया गया। आवेदक द्वारा उक्त मद के नमूना लेते समय उसे एकरूपता प्रदान करने व किस आधान/बर्तन नमूना लिया गया के तथ्य अंकित नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक एफ एस ओ द्वारा उक्त नमूनीकरण का कार्य एफ एस ए के नियमानुसार नहीं किया गया है इस आधार पर भी उक्त वाद निरस्तणीय है।

6. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 6 के कथन स्वीकार है। उक्त मद अनुसार फर्द रिपोर्ट आवेदक एफ एस ओ द्वारा भरा गया था जिसपर मिन जवाबदाता सहित गवाह एंव एफ एस ओ के स्वंय के हस्ताक्षर है जिसे पूर्व में आवेदक द्वारा संलगन परिवाद पेश किया गया है।

7. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 7 के कथन जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना सं. K–1384 मिन जवाबदाता से लिया गया था जिसे अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जबकि उक्त नमूना के भाग को तीन रोज उपरान्त बीकानेर में दिनाँक 18.02.2022 को जमा करवाया गया था जिसकी रसीद संलग्न परिवाद पेश है। जबकि एफ एस एस ए के नियमानुसार तुरन्त अगले दिवस उक्त नमूने के भाग को जन विश्लेषक के पास जमा करवाया जाना चाहिये था। एफ एस ओ ने तीन दिन तक उक्त नमूना अपने कब्जे में रखा जो कि विधि विरूद्ध है। उक्त तथ्य निराधार व झूठे एंव गलत होने के कारण वाद प्रथम दृष्टया ही निरस्तणीय है।

8. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 8 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।

9. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 9 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।

10. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 10 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।

11. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 11 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।

12. यह कि आवेदन पत्र की मद स. 12 के तथ्य निराधार होने के कारण अस्वीकार है मिन जवाबदाता द्वारा किसी भी प्रकार से विधि का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद विधि विरूद्र तथ्यों पर आवेदक द्वारा श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है जो कि पोषणीय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

नहीं होने के कारण सव्यय निरस्तणीय है। अप्रार्थी एफ बी ओ एफ एस ए की धारा 31 की उपधारा 2 की श्रेणी का कारोबारकर्ता है जिसकी शास्ति धारा 51 के तहत अधिरोपित नही की जा सकती है।

अतिरिक्त कथन :–

1– यह कि उक्त वाद पत्र के साथ आवेदक द्वारा सत्यापन व अपना शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः उक्त वाद अपने आप में परिपूर्ण विधिक औपचारिकताओं के अभाव में निरस्तणीय है।

2– यह कि उक्त वाद में आवेदक द्वारा नमूनीकरण के दौरान किस आधान में नमूना लिया गया एंव नमूने को एकरूपता प्रदान करने के कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है जिससे यह साबित हो कि आवेदक द्वारा नमूनीकरण के समय लिये गये सैम्पल को एक रूप किया गया जो कि विधिनुसार आवश्यक था। जिससे यह साबित होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना सं. के–1384 लेते समय एफ एस एस ए के नियमों की पालना नहीं की गई है। न्याय OVkUr FAC 207] 2014 (1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है।

3– यह कि आवेदक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ की निर्माता, पैकिंगकर्ता एंव विक्रेता कम्पनी **S-T- DAIRY FOOD PRODUCTS 224] SECTOR&28- INDL] AREA] DELHI ROAD] HISSAR HARYANA** को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि उक्त खाद्य पदार्थ में पाये गये दोष निर्माता से सम्बन्धित होने के कारण इस कृतय के लिए विधिनुसार निर्माता एवं पैकिंगकर्ता ही दोषी माना जाना न्यायोचित होने के कारण उक्त के निर्माता का उक्त वाद में पक्षकार होना आवश्यक व विधि सम्मत है लेकिन आवेदक विभाग द्वारा उक्त के दोष को छिपाने के लिए जानबुझकर निर्माता एंव पैकिंगकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उक्त दोष हेतु निर्माता एंव पैकिंगकर्ता को दोषी करार दिया जाना न्यायोचित है। उक्त फर्म से खरीद बिल दिनोंक 25.10.2021 फोटो प्रति संलग्न जवाब है।

4– यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी व जन विश्लेषक को गवाही के उद्देश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावे जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है।

5. यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनॉक 19.02.2015 FAC 255, 2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है जिसकी प्रति संलग्न दस्तावेज है।

6– यह कि अन्य कथन बरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरुद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एंव FSSA के तहत खाद्य नमूना संख्या के–1384 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जॉच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **घी (श्री भोग ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1384** जांच रिपोर्ट क्रमांक RFL/P/DO-649/22/102 Dated 27-02-2023 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरुद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एंव FSSA के तहत खाद्य नमूना संख्या के–1384 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जॉच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Ghee Shree Bhog Brand" bearing Code No and Sr. No. K-1984, does not conforms to the standards of Proprietary Food, as per Regulation No. 2.12.1 & Food Category System No.1.7 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards & Food Additives) Regulations, 2011 and further amendments, on the basis of tests performed. Hence found to be Sub-standard as per section 3 (1) (zx) of Food Safety & Standards Act 2006** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **श्री ओमप्रकाश अरोड़ा पुत्र श्री त्रिलोकचंद अरोड़ा (विक्रेता व मालिक) मै. चुग किरयाना स्टोर, बस स्टेंड बींझवायला, जिला श्रीगंगानगर और श्री रूपचंद पुत्र श्री गोपालदास, मै. सतगुरू ट्रेडिंग कंपनी, बसंती चौक के पास श्रीगंगानगर और** S.T. Dairy Food Product 224, Sector-28, Ind. Area, Delhi Road, Hissar Haryana को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्तगण **श्री ओमप्रकाश अरोड़ा पुत्र श्री त्रिलोकचंद अरोड़ा (विक्रेता व मालिक) मै. चुग किरयाना स्टोर, बस स्टेंड बींझवायला, जिला श्रीगंगानगर और श्री रूपचंद पुत्र श्री गोपालदास, मै. सतगुरू ट्रेडिंग कंपनी, बसंती चौक के पास श्रीगंगानगर और** S.T. Dairy Food Product 224, Sector-28, Ind. Area, Delhi Road, Hissar Haryana को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 **(अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर